कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन ।

(खनन अनुभाग)

पत्रांकः 267 /खजिन–एम0एम0सी0–30 /2024 दिनांक 02 मई 2025

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–जालौन में नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, के खनन क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार नियमावली 2021 एंव शासनादेश संख्या–2026/86–2019–57(सा0)/2017 दिनांक 30.08.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अवधि के लिये ई–टेण्डरिंग के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 20.06.2025 समय प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 30.06.2025 समय सायं 5:00 बजे तक क्षेत्रों के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

1– क्षेत्र का विवरणः–

क्र0 सं0	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील/ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टयर में)	सीमायें				उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा (घन मी0 में)
					चौहद्दी		जियोकॉर्डिनेट			
1	श्री बेटीवाई व अन्य	कालपी/परासन	4032/15	1.234	उत्तर	आराजी सं0 4032 का शेष भाग, नदीबेतवा	बिन्दु–A	25° 54'34.52"N 79° 42'59.45"E	मोरम	34440
					दक्षिण	आराजी सं0 4032 का शेष भाग नदी बेतवा	बिन्दु–B	25° 54'35.77"N 79° 43'1.50"E		
					पूर्व	आराजी सं0 4032 का शेष भाग, नदी बेतवा	बिन्दु–C	25° 54'32.06"N 79° 43'8.43"E		
					पश्चिम	आराजी सं0 4032 का शेष भाग बाद ग्राम परासन की कास्त भूमि	बिन्दु–D	25° 54'30.65"N 79° 43'5.96"E		

उक्त खनन क्षेत्रों हेतु प्राप्त ई–निविदाओं को ई–निविदा गठित समिति द्वारा दिनांक–02.07.2025 को अपरान्ह समय–04:00 बजे कलेक्ट्रेट समागाार, जालौन स्थान उरई में खोली जायेगी।

2– **ई–निविदा में प्रतिभाग करने वाले ई–निविदादाताओं को ई–निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर अपलोड किये गये समस्त अभिलेख की मूल प्रति खनिज कार्यालय, जालौन स्थान उरई में दिनांक 01.07.2025 समय 05:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।**

3– परिहार की अवधि में मानसून सत्र (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) की अवधि सम्मिलित नही मानी जायेगी।

4– कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बाते होगीः–

क– विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख– विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

ग– निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नं0। (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)

घ– क्या आवेदक भूस्वामी है। (हॉ/नही)

ड़– उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो–

भूस्वामी का नाम–
उपखनिज का नाम–
तहसील का नाम–
खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम–
गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या–
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)–

Scanned with CamScanner

विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित खनिज की मात्रा–

च– ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 15,000/– के जमा का चालान।

छ– प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)

ज– खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली ई–निविदा की दर–
(ई–निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली–2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगी।)

झ– जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहॉ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहॉ इस आशय का शपथ पत्र।

ट– भूस्वामी को छोडकर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

ठ– भूस्वामी को छोडकर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो ई–निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।

5– बिन्दु संख्या 3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा।

6– यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा।

7– ई–निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

8– यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:–

(क)– ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख)– ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।

(ग)– विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

9– निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:–

i– सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिंग आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

ii– तत्पश्चात् निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

iii– निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

iv– निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा संबंधित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढा जा सकता है।

v– निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर 3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 फाईल बनायी जानी होगी।

vi– ई–टेण्डर डाकूमेंटस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाईल तैयार हो जाने के पश्चात् निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाईन" (Pay Offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

Scanned with CamScanner

vii– तत्पश्चात् निविदाकार द्वारा प्री बिड अर्नेस्ट मनी से संबंधित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

viii– निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्री बिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से संबंधित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

ix– यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिडस में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई–निविदा रि–बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते है। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल 'पर अनुमन्य' होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नही होगी।

10– ई–टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैण्ड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोल एक्सरी सर्विस पैक–3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होना चाहिए। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती है।

11– जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यो हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

12– भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई–निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07 (सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हे एक अवसर प्राप्त होगा। ई–निविदा प्रक्रिया में भूस्वामी को भाग लेना आवश्यक नही है, परन्तु भूस्वामी/भूस्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई–निविदा के सम्बन्ध में बिन्दु सं0–03 में दी गयी समस्त शर्तो को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

13– **विज्ञप्ति के अनुसार ई निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि उपरान्त भूस्वामी के प्रथम इनकार हेतु निर्धारित अवधि 07 कार्यदिवस के पश्चात् प्राप्त ई निविदाओं को दिनांक 02.07.2025 को अपरान्ह् समय–04:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।**

14– भूस्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नही करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक घन मी0 हेतु) चयनित आवेदक द्वारा भू–स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू–स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा।

15– सफल निविदाकर्ता/भूस्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोडकर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

16– लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गत होने के 03 कार्यदिवस में ई–निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में, जिसमें अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भूस्वामी द्वारा उक्त धनराशि जमा नही करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत परिहार अवधि के शेष अग्रिम माहों में समान प्रतिशत के रूप में परिहारधारक द्वारा भुगतान की जायेगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति उपरान्त एक माह के अन्दर परिहारधारक को वापस कर दी जायेगी।

17– जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

18– खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

19– सफल निविदाकार/भूस्वामी परिहार हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई–निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।

21– पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।

22– परिहारधारक द्वारा मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 तथा समय समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

23– अनुज्ञाधारक नियम–36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगा और उसका समुचित रुप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रुप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0सी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गई समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिगं को उपलब्ध करायेगा।

24– अनुज्ञाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली–2021 के नियम–60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

25– अनुज्ञाधारक 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नही करेगा।

26– अनुज्ञाधारक द्वारा नदी की जलधारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नही किया जायेगा।

27– स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहां परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहॉ पर खनिज का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

28– यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लघंन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

29– अनुज्ञा समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक को अन्तरित किये जाने में प्रस्तावक को कोई आपत्ति नही होगा।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी,जालौन।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3– निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय झांसी, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0।
5– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, जालौन स्थान उरई।
8– समस्त उपजिलाधिकारी जनपद–जालौन स्थान उरई।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी,जालौन।

Signature Not Verified
Digitally signed by GOPAL KRISHNA DUTTA
Date: 2025.06.19 13:18:41 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with CamScanner